र्राजस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 2018/पौष 29, 1939

No. 252]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2018/PAUSHA 29, 1939

सूक्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2018

का.आ. 290(अ).—कयर उद्योग नियमावली, 1954 के नियम 4 और 5 के साथ पठित कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा श्री जी.एम. सिद्धेश्वर, संसद सदस्य, लोक सभा को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 29 सितम्बर, 2018 तक की अवधि के लिए कयर बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना सं का.आ. 2677(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

2. उक्त अधिसूचना में, शीर्ष श्रेणी-(ई) के अंतर्गत, क्रम संख्या 1 तथा उससे संबंधित प्रविधि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

श्रेणी - (ई)

क्रम संख्या	नाम और पता
"1.	श्री जी.एम. सिद्धेश्वर, संसद सदस्य, लोक सभा, सफदरजंग लेन सं. 2, नई दिल्ली।"

[फा. सं. 6 (2)/2014-कयर]

बी. एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणीः

मूल अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2015 की सं. का.आ. 2677(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई तथा बाद में उसे दिनांक 24 अक्तूबर, 2016 की सं. का.आ. 3284(अ.) तथा 16 अक्तूबर, 2017 के का.आ. 3351(अ) के तहत संशोधित किया गया।

384 GI/2018

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2018

S.O. 290(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), read with rules 4 and 5 of the Coir Industry Rules, 1954, the Central Government hereby appoints Sh. G.M. Siddeshwara, Member of Parliament, Lok Sabha to be a member of the Coir Board for a period up to 29th September, 2018 with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette and for the said purpose, makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, number S.O. 2677(E), dated the 30th September, 2015, namely:-

2. In the said notification, under the heading Category-(e), for Serial number 1 and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

Category-(e)

Sl.No.	Name and address	
"1	Sh. G.M. Siddheshwara, Member of Parliament, Lok Sabha, Safdarjung Lane Number 2, New Delhi."	

[F. No. 6 (2)/2014-Coir]

B. H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.

Foot Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2677(E), dated the 30th September, 2015, and subsequently amended vide number S.O. 3284(E), dated the 24th October, 2016 and S.O. 3351(E), dated the 16th October, 2017.